

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।

दफतर हो।
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाबा दाखिल जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल सुमार है। अतः परोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की है। अतः परोकार सरकारी की जाने का कोई आश्चित्य प्रतीत नहीं होता। अग्रिम कार्यवाही की जाने का कोई आश्चित्य प्रतीत नहीं होता। मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलवादीन 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष न्यायालय राजस्थान बूँद जयपुर द्वारा रिटिपेटीशन सं. अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 29/8/1978 माननीय उच्च विवादित मामि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया विवादित मामि से परोकार सरकार ने उक्त किया है। अब अपीलवादी की ओर से परोकार सरकार ने उक्त मू-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित मामि का आवंटि रेस्पॉन्डेंट्स को मू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा केषि अवलोकन किया। अपीलान्ट की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का हमने परोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

क्या प्रति आदि रिकॉर्ड दस्तावेजात पेश किये।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में सम्बन्धित मू-आवंटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्तित आराजी से राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित पिपेटीशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छौट्टे एवं अन्य वनाम उच्च न्यायालय राजस्थान बूँद जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय (नाथ तहसीलदार कोटपुर्वली) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत होकर तहसीलदार कोटपुर्वली की ओर से परोकार सरकार द्वारा पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलवादी जैण्ड

23.11.16

| | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| दिनांक आदेश या कार्यवाही | आदेश विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|--------------------------|---------------------|-------------|

183/2015

(नाथ तहसीलदार कोटपुर्वली)

फर्द अहकाम

बनाम